C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
13.05.2023	**प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ कं. 19 में प्रस्तुत।** वादी म.प्र. ग्रामीण बैंक शाखा हाटपीपल्या की ओर से सहायक शाखा प्रबंधक कुं. नेहा सोनी सहित अधिवक्ता श्री आर.के. ईनाणी उपस्थित। प्रतिवादी चंदरसिंह उपस्थित। वादी बैंक की सहायक शाखा प्रबंधक कुं. नेहा सोनी की ओर से राजीनामा आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वाद में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया होकर प्रतिवादी कं. 1 ऋणि ने वादी बैंक का राजीनामे के अंतर्गत ऋण खाता बंद कर दिया है, जिससे वादी बैंक प्रतिवादीगण के विरूद्ध अब कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। अतः प्रकरण समाप्त कर न्यायशुल्क वापस किये जाने का निवेदन किया। आवेदन पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि– वादी म.प्र. ग्रामीण बैंक शाखा हाटपीपल्या द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध राशि 12,84,480/–रूपये के धन वसूली हेतु दावा पेश किया है और वादी की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी तौर पर राजीनामा हो गया है और वादी बैंक उक्त प्रकरण को अब चलाना नहीं चाहते हैं। इस संबंध में शाखा प्रबंधक से पूछताछ किये जाने पर स्वेच्छापूर्वक बिना भय व दबाब से राजीनामा पेश किये जाना व्यक्त किया गया। अतः प्रस्तुत राजीनामा आवेदन उचित प्रतीत होने से स्वीकार कर प्रकरण की कार्यवाही इसी प्रक्रम पर समाप्त की जाती है। उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगे। व्यय तालिका बनायी जावे। प्रकरण का निराकरण नेशनल लोकअदालत में हुआ है जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायशुल्क नियमानुसार पाने का पात्र है। अतः वादी को न्यायशुल्क वापसी का प्रमाणपत्र प्रदान किया जावे।	

e of
r or
eding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस./पंजी में दर्ज कर नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(राकेश कुमार)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश
वरिष्ठ खंड, एवं पीठासीन अधिकारी
खंडपीठ कं. 19, बागली, जिला
देवास (म.प्र.)

सदस्यः– श्री गोविंद यादव ....